IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समान नागरिक संहिता: लैंगिक न्याय के विशेष संदर्भ में

सचित्र मिश्र

छात्र, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोध सार

भारत जैसे विविधता वाले देश में विभिन्न प्रकार की जातियों, धर्मों और समुदायों के लोग निवास करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर उनमें कई तरह के भेद देखे जा सकते हैं। मसलन उनका रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, विचार, त्यौहार आदि सभी एक दूसरे से अलग है। ऐसे बहु सांस्कृतिक देश के लिए अपने सभी नागरिकों को सार्वभौमिक और समान अधिकार सुनिश्चित कराना एक चुनौती है। वर्तमान समय में दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनमें समान नागरिक संहिता लागू है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, स्विट्जरलैंड, चीन, रूस आदि कई देशों में एक समान नागरिक संहिता है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है। इनके अलावा इजरायल और जापान जैसे देशों में भी समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि, कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून भी लागू हैं। जहाँ एक तरफ यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है वहीं दूसरी तरफ भारत में अलग-अलग धर्मों के अपने व्यक्तिगत कानून हैं। ऐसे में, भारत जैसे बहुलतावादी देश में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। यह शोध पत्र इन्हीं चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित समान नागरिक संहिता का लैंगिक न्याय में योगदान के अध्ययन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त यह शोध पत्र समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए आवश्यक विधायी और सामाजिक उपायों का सुझाव भी प्रस्तुत करता है ताकि एक न्यायसंगत और समतावादी समाज की स्थापना की जा सके।

मुख्य बिन्दु: समान नागरिक संहिता, लैंगिक न्याय, संविधान, धर्मनिरपेक्ष

प्रस्तावना

समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा पर भारत में दशकों से बहस चल रही है और लंबे समय से कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों द्वारा इसकी मांग की जाती रही है। भारतीय संविधान के भाग चार में संकलित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को शामिल किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यह विधिक रूप से प्रवर्तनीय तो नहीं है लेकिन सरकार एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसका अनुपालन कर सकती है।

संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर चर्चा के दौरान बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता को किसी पर थोपा नहीं जाएगा। उन्होंने इसे एक स्वैच्छिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून प्रदान करना था। हालांकि, पंडित नेहरू ने इसके कार्यान्वयन के लिए सामाजिक और राजनीतिक माहौल को अनुकूल नहीं माना। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आ गया है।" उनका मानना था कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले देश को सामाजिक रूप से तैयार होना चाहिए।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून पर आधारित अवधारणा है। यह एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को एक समान बनाना है चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों। वर्तमान में, भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं जैसे कि हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून आदि। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य इन सभी व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करके एक ही कानून को लागू करना है जो सभी नागरिकों के लिए समान हो।

समान नागरिक संहिता की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालाँकि, इस रिपोर्ट में हिंदूओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने आदि में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम (1937) जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से निरसित हो जाएंगे।

हिंदू धर्म के पारंपरिक पारिवारिक कानून मिताक्षरा और दयाभाग पर आधारित हैं जबकि इस्लामिक कानून कुरान और हदीस से व्युत्पन्न शरिया से संचालित होते हैं। इन कानूनों ने परिवार और संपत्ति से संबंधित मामलों को विनियमित किया हालांकि ये धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित थे। मिताक्षरा और दयाभाग हिंदू उत्तराधिकार कानून के दो प्रमुख स्कूल हैं जिनमें संपत्ति के विभाजन और उत्तराधिकार के सिद्धांत भिन्न होते हैं। मिताक्षरा प्रणाली के तहत पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा पुत्रों के बीच होता है जबकि दयाभाग प्रणाली के

तहत पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति का विभाजन होता है। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम में शरिया कानून कुरान और हदीस से व्युत्पन्न होते हैं और ये कानून मुस्लिम परिवारों के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों को नियंत्रित करते हैं। शरिया कानून के तहत, पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों में अंतर होता है और उत्तराधिकार के मामले में पुरुषों को अक्सर महिलाओं से अधिक हिस्सा मिलता है।

इन अलग-अलग पर्सनल लॉ में अक्सर महिलाओं और कमजोर वर्गों के प्रति भेदभावपूर्ण प्रावधान पाए जाते हैं जो लैंगिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होते हैं। राज्य ने महिलाओं पर लागू होने वाली इन अत्याचारी प्रथाओं को प्रतिबंधित करने वाले आपराधिक कानूनों को पारित करके लैंगिक न्याय की कल्पना की जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी प्रथाओं को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया। इन कानूनों ने महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ावा दिया और समाज में उनके स्थान को सुधारने का प्रयास किया। हालांकि, राज्य धार्मिक पारिवारिक कानूनों में सुधार करने के प्रति उदासीन रहा जो अक्सर महिलाओं के लिए असमान और अन्यायपूर्ण स्थिति का कारण बना। धार्मिक कानूनों में सुधार की कमी के कारण महिलाओं को पारिवारिक मामलों में कई बार न्याय नहीं मिल पाता। पारंपरिक धार्मिक कानूनों में महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने वाले कई प्रावधान होते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है ताकि सभी को समान अधिकार और न्याय मिल सके। इन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि धार्मिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हो सके तथा उन्हें समानता और न्याय मिले। इस संदर्भ में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य एक ऐसा कानून प्रणाली बनाना है जो सभी नागरिकों के लिए समान हो चाहे उनकी धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो।

समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए अब तक किये गए प्रयास:

समान नागरिक संहिता लागू न होने का प्रमुख कारण भारत की बहुल संस्कृति है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना जाता है जबकि इस्लाम में इसे एक अनुबंध के रूप में देखा जाता है। ईसाइयों और पारसियों के रीति-रिवाज भी अलग-अलग हैं जिससे निजी मामलों में एक समान राय बनाना व्यावहारिक रूप से कठिन है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी समान नागरिक संहिता को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानती है। एक बड़ी आबादी की मांग को अनदेखा कर कोई कानून लागू करना चुनौती पूर्ण है। 1948 में हिंदू कोड बिल के विरोध से यह स्पष्ट होता है। उस समय इस बिल को हिंदू संस्कृति और धर्म पर हमला करार दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जोखिम नहीं लेना चाहता। विशेष विवाह अधिनियम (1954) के तहत किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, नागरिक विवाह की अनुमति है। यह अधिनियम किसी भी भारतीय व्यक्ति को धार्मिक रीति-रिवाजों से बाहर विवाह करने की अनुमति देता है जिससे विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है। यह कदम भारतीय समाज में विवाह के संबंध में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त शाह बानो केस (1985) ने समान नागरिक संहिता की

आवश्यकता पर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया। इस मामले में, शाह बानो ने अपने पति से भरण-पोषण की मांग की थी जिसे व्यक्तिगत कानून के तहत खारिज कर दिया गया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत शाह बानो के पक्ष में निर्णय दिया जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के संबंध में सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। इस फैसले ने व्यक्तिगत कानूनों की सीमाओं और समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह अनुशंसा भी की कि, लंबे समय से लंबित समान नागरिक संहिता को अंततः अधिनियमित किया जाना चाहिए। इस सिफारिश ने विधायिका पर एक समान नागरिक संहिता की दिशा में कार्रवाई करने का दबाव डाला।

सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य मामलों में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। 1995 के सरला मुद्गल मामले में न्यायालय ने धर्म परिवर्तन और बहुविवाह के मुद्दों पर विचार किया और सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने का आह्वान किया। इसी तरह, 2019 के पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा केस में भी न्यायालय ने इसकी आवश्यकता पर जोर दिया। इन न्यायिक निर्णयों ने न केवल समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को रेखांकित किया बल्कि विधायिका पर इसे लागू करने का नैतिक दबाव भी डाला। हालांकि, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के कारण इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है फिर भी ये प्रयास भारतीय विधि प्रणाली में समान नागरिक संहिता की संभावनाओं पर लगातार चर्चा और विचार-विमर्श को बढ़ावा देते हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग के बावजूद इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। अगर समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्णय लिया भी जाता है तो इसे समग्र रूप देना आसान नहीं होगा। इसके लिए अदालत को निजी मामलों से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। विवाह, तलाक, पुनर्विवाह आदि मुद्दों पर किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना कानून बनाना कठिन है। न केवल शरिया कानून (1937) बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम (1955), ईसाई विवाह अधिनियम (1872) और पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम (1936) में भी सुधार की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं किया गया है और इस मुद्दे पर अभी भी काफी बहस और चर्चा चल रही है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 4 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने से राज्य विधानसभा में इसे पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए किये जा रहे कुछ प्रयास निम्नवत हैं:

1. विधि आयोग से राय मांगना: जून 2023 में, सरकार ने 22वें विधि आयोग से समान नागरिक संहिता पर जनता और धार्मिक संगठनों से राय मांगने को कहा। यह जनता की राय जानने और समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।

2. संसदीय समिति की जांच: सरकार ने समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया है। इस समिति को देश भर में हितधारकों से परामर्श करने और समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का काम सौंपा गया है।

3. गोवा में समान नागरिक संहिता का उदाहरण: सरकार ने अक्सर गोवा का उदाहरण दिया है, जहां एक समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। गोवा में समान नागरिक संहिता का सफल कार्यान्वयन, इसे पूरे देश में लागू करने की व्यवहार्यता के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाता है।

4. जन जागरूकता अभियान: सरकार ने समान नागरिक संहिता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों को समान नागरिक संहिता के लाभों के बारे में शिक्षित करना और इसके कार्यान्वयन से संबंधित मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करना है।

5. राजनीतिक इच्छाशक्ति: सरकार ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर समान नागरिक संहिता के महत्व पर जोर दिया है और इसे देश के लिए एक आवश्यक सुधार बताया है।

समान नागरिक संहिता और लैंगिक न्याय में संबंध:

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य केवल कानूनी समरूपता लाना नहीं है बल्कि लैंगिक न्याय को भी सुनिश्चित करना है। यह लिंग आधारित वर्तमान व्यवस्था को बदलकर व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में सबको समान अधिकार प्रदान कर सकती है जिससे समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है लेकिन इसे लागू करने से समाज में समता और न्याय की स्थापना हो सकती है।

लैंगिक न्याय का अभिप्राय:

लैंगिक न्याय का अर्थ है सभी लिंगों के लिए समान अधिकार, अवसर, और व्यवहार सुनिश्चित करना। इसमें महिलाओं, पुरुषों और अन्य सभी लिंगों के लोगों के लिए समानता और निष्पक्षता का सिद्धांत शामिल होता है। लैंगिक न्याय का उद्देश्य समाज में लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करना है। कुछ मुख्य तत्वों के आधार पर लैंगिक न्याय को इस प्रकार देखा जा सकता है-

लैंगिक न्याय के प्रमुख तत्व:

- कानूनी समानता:

सभी लिंगों के लिए समान कानून और अधिकार।

विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के मामलों में समान अधिकार।

- आर्थिक समानता:

समान कार्य के लिए समान वेतन।

रोजगार और पेशेवर अवसरों में समानता।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान।

- शिक्षा में समानता:

सभी लिंगों के लिए समान शिक्षा के अवसर।

शिक्षा प्रणाली में लिंग भेदभाव को समाप्त करना।

- राजनीतिक समानता:

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समान भागीदारी।

राजनीति में महिलाओं और अन्य लिंगों के लोगों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करना।

- सामाजिक समानता:

समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना।

घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, और अन्य लिंग आधारित अपराधों के खिलाफ कठोर कानून और प्रवर्तन।

- स्वास्थ्य सेवाएं:

सभी लिंगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में समानता।

मातृत्व स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान।

इस तरह लैंगिक न्याय को समाज के सभी क्षेत्रों में लागू करने की जरूरत है। लैंगिक न्याय एक व्यापक और महत्वपूर्ण विषय है जिसका लक्ष्य एक समान, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना करना है। इसके लिए सभी स्तरों पर लगातार प्रयास और जागरूकता की आवश्यकता है।

लैंगिक न्याय के प्रमुख लाभ:

- समान अवसर: सभी लोगों के लिए समान अवसरों की उपलब्धता।
- सशक्तिकरण: महिलाओं और अन्य लिंगों के लोगों का सशक्तिकरण।
- समाज में समरसता: भेदभाव और असमानता रहित न्यायपूर्ण और समरस समाज का निर्माण।
- आर्थिक विकास: महिलाओं और अन्य लिंगों की सक्रिय भागीदारी से आर्थिक विकास को बढ़ावा।

लैंगिक न्याय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम:

- कानून और नीतियों में सुधार:

लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और नीतियों में सुधार।

भेदभाव और हिंसा के खिलाफ कठोर कानूनों का प्रवर्तन।

- शिक्षा और जागरूकता:

लैंगिक समानता के महत्व पर शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम।

स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना।

- सामाजिक परिवर्तन:

पारंपरिक और रूढ़िवादी धारणाओं को बदलने के लिए सामाजिक अभियान।

महिलाओं और अन्य लिंगों के लोगों के योगदान को मान्यता और सम्मान।

लैंगिक न्याय में समान नागरिक संहिता का संभावित योगदान:

समान नागरिक संहिता न केवल कानूनी अधिकारों की रक्षा करेगी बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वर्तमान में, विभिन्न धार्मिक समुदायों के धार्मिक कानूनों में भिन्नताएँ हैं जो असमानता और भेदभाव का कारण बनते हैं। संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकारों में भी ये असमानताएँ देखने को मिलती हैं। समान नागरिक संहिता के लागू होने से इन असमानताओं को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ संभावित योगदान निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं:

लैंगिक समानता: समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करना है। यह विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक भेदभाव को दूर करने में मदद कर सकता है।

महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण: वर्तमान में, विभिन्न धार्मिक व्यक्तिगत कानून महिलाओं के लिए अलग-अलग अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। समान नागरिक संहिता महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति के अधिकारों के मामले में समान अधिकार प्रदान करके उनकी स्थिति को मजबूत कर सकता है।

बाल विवाह और बहुविवाह पर रोक: समान नागरिक संहिता बाल विवाह और बहुविवाह जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित करके महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है जो अक्सर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और शोषण का कारण बनते हैं।

समान न्याय तक पहुंच: समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए समान न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करेगा चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो। यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें अक्सर भेदभावपूर्ण व्यक्तिगत कानूनों के कारण न्याय से वंचित रखा जाता है।

सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना: समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील कानूनी ढांचा प्रदान करके लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोणों को बदलने में मदद कर सकता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

अनुच्छेद 44 में वर्णित समान नागरिक संहिता में लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने की क्षमता है लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए सावधानीपूर्वक विचार और सभी हितधारकों के बीच व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि समान नागरिक संहिता सभी धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान करते हुए एक न्यायसंगत और समावेशी कानूनी ढांचा प्रदान करे। समान नागरिक संहिता की अवधारणा और उसकी आवश्यकता पर समय-समय पर विभिन्न सामाजिक और कानूनी मंचों पर चर्चा होती रही है। यह विचारधारा प्रमुख रूप से इस बात पर आधारित है कि एक लोकतांत्रिक समाज में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार और कर्तव्य होने चाहिए और कानून किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। हालाँकि, समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है और सांस्कृतिक विविधता को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा, समान नागरिक संहिता को तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ आ सकती हैं:

धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता: भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं जिनके अपने-अपने व्यक्तिगत कानून हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने से इन समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को खतरा महसूस हो सकता है।

राजनीतिक संवेदनशीलता: समान नागरिक संहिता एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है और इसे लागू करने के प्रयासों को अक्सर धार्मिक तुष्टिकरण या बहुसंख्यकवाद के रूप में देखा जाता है। इससे सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।

कानूनी और व्यावहारिक चुनौतियाँ: विभिन्न धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को एक समान संहिता में समाहित करना एक जटिल कार्य है। इसके अलावा, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए व्यापक कानूनी सुधारों और प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होगी जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।

सामाजिक प्रतिरोध: कुछ समुदाय विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय, समान नागरिक संहिता को अपने व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप के रूप में देख सकते हैं और इसका विरोध कर सकते हैं। इससे सामाजिक अशांति और कानून व्यवस्था की समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

आर्थिक प्रभाव: समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से कुछ समुदायों विशेष रूप से उन समुदायों पर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है जिनके व्यक्तिगत कानून संपत्ति के उत्तराधिकार और विवाह जैसे मामलों में अलग-अलग प्रावधान करते हैं।

जन जागरूकता की कमी: समान नागरिक संहिता के बारे में जन जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। कई लोग समान नागरिक संहिता के बारे में नहीं जानते हैं और इसके कार्यान्वयन के संभावित प्रभावों के बारे में भी अनिश्चित हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद समान नागरिक संहिता के समर्थकों का तर्क है कि यह सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और लैंगिक समानता सुनिश्चित करेगा। वे यह भी तर्क देते हैं कि समान नागरिक संहिता देश में एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना की वकालत करता है। आपराधिक मामलों में सभी समुदायों के लिए एक समान कानून लागू होता है लेकिन सिविल मामलों में विभिन्न कानूनों की उपस्थिति पर सवाल उठता है। निजी कानूनों में सुधार के अभाव में महिलाओं की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो पा रहा है जिससे उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर नहीं मिल रहा है। विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को जो बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का विरोध करती हैं, समान नागरिक संहिता से बड़ी आजादी मिल सकती है। इससे संवैधानिक अधिकारों की समानता सुनिश्चित होगी और समाज-सुधार की पहलें सफल हो सकेंगी। हालांकि, विधि आयोग की सलाह और अल्पसंख्यकों की चिंताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। विधि आयोग ने निजी कानूनों में सुधार की बात कही है जो देश की विविधता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का 1400 साल पुराना इतिहास आस्था का लंबा इतिहास है जिसे अचानक समाप्त करना संभव नहीं है। भारत के सभी निजी कानून आस्था पर आधारित हैं और उनमें सुधार तभी संभव है जब धर्म के भीतर से बदलाव की आवाज उठे। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसे समाप्त करने में सफल रहे क्योंकि उन्हें अपने धर्म की कुरीतियों की चिंता थी। इसी प्रकार, धार्मिक नेताओं को सुधार के लिए ईमानदारी से पहल करनी होगी। भारत की सांस्कृतिक बहुलता न केवल निजी कानूनों में बल्कि जीवन शैली और खान-पान में भी विविधता दिखाती है। समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल अधिकतम सर्वसम्मति से होनी चाहिए ताकि समाज में ध्रुवीकरण न हो और सामाजिक सौहार्द्र बना रहे। सरकार और समाज को परस्पर विश्वास बनाने के लिए मेहनत करनी होगी और इसे धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय लोकहित के रूप में प्रस्तुत करना होगा। सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग-अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है। सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करना आवश्यक है ताकि उनमें पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं की पहचान कर उन्हें मौलिक अधिकारों के आधार पर परीक्षण किया जा सके।

संदर्भ सूची:

1. समान नागरिक संहिता एक परिचर्चा (2017). नई दिल्ली: सुरुचि प्रकाशन
2. मौलाना वहीदुद्दीन खान. (2009). समान नागरिक संहिता एक तर्कसंगत तथा सकारात्मक अध्ययन. नई दिल्ली: गुडवर्ड बुक्स
3. समान नागरिक संहिता (UCC): अर्थ, संवैधानिक प्रावधान, बहस, निर्णय और संबंधित तथ्य (nextias.com)
4. Pandey, Anurag. (2022). भारत में समान नागरिक संहिताः वाद-विवाद एवं परिचर्चा. 7. 150-64. 10.6084/m9.figshare.21972584.
5. pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1932550
6. समान नागरिक संहिता : अधिकारहीनता से अधिकार सम्पन्नता की ओर (panchjanya.com)
7. pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988697
8. समान नागरिक संहिता [UCC][PDF Download] (journalismology.in)